उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-52/2015/3247 /71-1-2014-जी-371/2014
लखनऊ : दिनांक 19 मार्च 2015
कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014/3036, दिनॉक 14-11-2014 में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में उल्लिखित चिकित्सकों के स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विचार करते हुए जिला चिकित्सालय, बांदा में तैनात डा0 रमेश चन्द्र अरूण, शल्य चिकित्सक को मेडिकल कालेज, बांदा में प्रवक्ता, सामान्य सर्जरी के पद पर तैनात किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा0 रमेश चन्द्र अरूण को राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में प्रवक्ता, सामान्य सर्जरी के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- डा0 रमेश चन्द्र अरूण को उक्त तैनाती के दौरान वही वेतन भत्ते अनुमन्य होंगे जो उन्हें उनके मूल विभाग से प्राप्त होते।

2- डा0 रमेश चन्द्र अरूण का गहन/धारणाधिकार उनके मूल विभाग में पूर्ववत् बना रहेगा और कार्यहित में उन्हें कभी उनके मूल विभाग में वापस किया जा सकेगा।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 52/2015/3247(1)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बांदा।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बांदा।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा।
7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बांदा।
8- कोषाधिकारी, बांदा।
9- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
10- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।